राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक, सी–स्कीम, जयपुर–302005

दूरभाष सं. 0141–2229314, 2226728 ईमेल : dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक: भूमि/एफ.7(ड)(श.से.शि.)डीएलबी/2026/7848 दिनांक : 20/07/2026

आदेश

राज्य सरकार द्वारा शहरी नागरिकों की कठिनाईयों के निवारण तथा नागरिकों को विभिन्न सेवाऐं प्रदत्त करने एवं जनसमस्या समाधान हेतु शहरी सेवा शिविर–2026 दिनांक 12 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक संचालित किए गए। इसी क्रम में उक्त अभियान के दौरान निकायो के लम्बित रहे प्रकरणों एवं नवीन आवेदनों के निस्तारण हेतु राज्य सरकार द्वारा फॉलो अप कैम्प दिनांक 21 जुलाई 2026 से 31 अगस्त 2026 तक (रविवार) को छोड़कर आयोजित किये जाने हैं। उक्त फॉलो अप कैंपो के दौरान शहरी सेवा शिविर–2026 के तहत् दी गई छूट/शिथिलताऐं यथावत् रहेगी।

उक्त फॉलो अप शिविरों का आयोजन राज्य की प्रत्येक नगरीय निकाय/प्राधिकरण पर किया जायेगा। इन शिविरों की इस प्रकार योजना बनायी जावे ताकि यह अभियान 31 अगस्त 2026 तक सम्पन्न हो जाये। शहरी समस्या समाधान शिविर–2026 में शामिल सभी विभाग एवं कार्य उक्त फॉलोअप शिविरो में यथावत रहेंगे।

जिला स्तर पर फॉलो अप शिविरों की तैयारी, क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग एवं समीक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला कलक्टर की होगी। प्रत्येक फॉलो अप शिविर हेतु जिला कलक्टर द्वारा शिविर प्रभारी एवं सहायक शिविर प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी। शहरी समस्या समाधान शिविर–2026 के दौरान लम्बित रहे प्रकरणों एवं नवीन प्रकरणों का निस्तारण उक्त फॉलोअप कैम्पों में किया जाना है।

यह प्रयास होना चाहिये कि जो भी व्यक्ति काम के लिये शिविर में आये, उसका काम उसी दिन पूर्ण किया जावे। शिविर का समय प्रातः 10.00 बजे से सांय 05:00 बजे तक रहेगा, यदि सायः 05:00 बजे तक कार्य अपूर्ण/लंबित रहते है तो कार्य समाप्ति तक शिविर का समापन नहीं किया जाएगा। शिविर प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि शिविर के शुरू होने से शिविर की समाप्ति तक अभियान से संबंधित समस्त विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी शिविर में उपस्थित रहेंगे। इस अभियान के दौरान निष्पादित कार्यो पर "शहरी सेवा शिविर–2026" फॉलोअप शिविर की मुहर अंकित की जावे।

(रवि विजय)
उप सचिव
नगरीय विकास विभाग

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक: भूमि/एफ.7(ड)(श.से.शि.)डीएलबी/2026/7849–8854 जयपुर, दिनांक : 20/07/2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
6. आयुक्त, विकास प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
7. निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान,जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
11. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
12. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
13. उप शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. समस्त क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान।
15. समस्त महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका, राजस्थान।
16. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, राजस्थान।
17. नविवि, स्वा.शा. एवं हाउसिंग बोर्ड के समस्त अधिकारीगण।
18. जनसम्पर्क अधिकारी, नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, आवासन मण्डल, राजस्थान।
19. प्रभारी अधिकारी, आई.टी.सैल, नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, आवासन मण्डल, राजस्थान।
20. सुरक्षित पत्रावली।

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक–:प.1(1)कार्मिक/श.से.शि./2026/706 दिनांक :–21/07/2026

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक भूमि/एफ.7(ड)(श.से.शि.) डीएलबी/2026/7848 दिनांक 20.07.2026 के उपरोक्त संलग्न आदेश अनुसार मण्डल स्तर पर आयोजित शहरी सेवा शिविर–2026 के सभी नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, I/II/(मु), रा.आ.म., जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव/वि.स. एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा.आ.म., जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता I/II/III, रा.आ.म., जयपुर/जोधपुर।
4. निदेशक विधि/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक/उप सचिव/ विशेषाधिकारी (भूमि)/भूमि अवाप्ति अधिकारी/जनसम्पर्क अधिकारी/वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक, रा.आ.म., जयपुर।
5. समस्त उप आवासन आयुक्त, वृत्त–....... /समस्त आवासीय अभियंता, खण्ड.........रा.आ.म., ...।
6. प्रान्तीय अध्यक्ष, राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ,
7. समस्त प्रकोष्ठ (मुख्यालय)............................, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।

(गोपाल सिंह)
सचिव

Scanned with OKEN Scanner